

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26754/2026**

सिंटू @ नितिन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : देवेन्द्र कुमार मिश्राविपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री शत्रुहन यादव को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 769/2018, अंतर्गत धारा 302, 394 भारतीय दंड संहिता, थाना- फेज-3, जनपद- गौतम बुद्ध नगर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की माँग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले की प्राथमिकी तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी किंतु विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त अर्जुन को अभियुक्त बनाया गया और जब विवेचक द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया तब उसने आवेदक का नाम बताया तथा सह-अभियुक्त के बयान तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा गरीबी के कारण वह पूर्व में अपनी जमानत अर्जी भी दाखिल नहीं कर सका तथा वर्तमान मामले में वह जून 2018 अर्थात आठ वर्ष से अधिक समय से जेल में है।
5. वह आगे प्रस्तुत करता है, अतः, मामले के तथ्यों को देखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
8. तथापि, आरोप के अनुसार, आवेदक एवं अन्य ने लूट की और घटना के दौरान चाकू से वार कर मृतक की हत्या भी कर दी किंतु प्राथमिकी में किसी व्यक्ति का नाम नहीं था।
9. इसके अतिरिक्त, यह परिलक्षित होता है, विवेचना के दौरान अर्जुन को अभियुक्त बनाया गया और जब विवेचक द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया तब उसने आवेदक का नाम बताया। यह आगे परिलक्षित होता है, सह-अभियुक्त के बयान तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा, अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
10. इसके अतिरिक्त, मामले के सबसे आश्चर्यजनक एवं पीड़ादायक तथ्यों में से एक यह है कि तथापि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था किंतु उसके बावजूद वह 14.06.2018 अर्थात् आठ वर्ष से अधिक समय से जेल में है और आज तक मुकदमे का विचारण समाप्त नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है, आवेदक के शीघ्र विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
11. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।
12. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
13. उपर्युक्त मामले में आवेदक सिंटू @ नितिन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—
 - (i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 03, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)